तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.09.2023	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 11 जा0दी0 पेश हुई। वकील प्रार्थी/डिक्रीदार ने प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 11 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य एक वाद संख्या 43/2005 उनवानी प्रेमचन्द बनाम रामधन न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। जिसका अंतिम निस्तारण दिनांक 10.08.2006 को डिक्री फरमाया जाकर कर दिया गया था। जिसका राजस्व रिकार्ड में अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया है। अतः निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.08.2006 की पालना में राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार, जोवनेर को तहरीर जारी की जावें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार जोवनेर को तहरीर जारी की गयी। तहसीलदार जोवनेर ने तहरीर की पालना में मार्गदर्शन इस आशय का चाहा गया है कि न्यायालय डिक्री एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्तकारों में भिन्नता है। आराजी खसरा संख्या 603/1 में से वाईपास रोड निकल चुका है। जिसका मुआवजा भी तत्कालीन काश्तकारों को मिल चुका है। आराजी खसरा संख्या 602 किस्म गै0मु0 आवादी दर्शाया हुआ है। जवकि डिक्री में यह प्रदर्शित नहीं है। अतः राजस्व रिकार्ड एवं डिक्री में भिन्नता होने के कारण इजराय करने में असमर्थता जाहिर की है। इसी दौरान अप्रार्थी रामचन्द्र ने जरिए अधिवक्ता आपत्ति इस आशय की पेश की है कि माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 43/2005 उनवानी प्रेमचन्द वनाम रामधन में दिनांक 10.08.2006 को उक्त दावा अंतिम निस्तारण किया गया था। डिक्री को पारित हुए 15 वर्ष 09 माह का समय व्यतीत हो चुका है। अंतिम निस्तारण के समय जोबनेर से जयपुर एवं रेनवाल मुख्य सडक वनी हुई थी। परन्तु उनका विवरण नक्शे कुरेजात में नहीं किया गया था। उक्त वाद के समय ही वाद संख्या 235/2008 उनवानी राधेश्याम वनाम रामधन विचाराधीन था। जिसका भी निस्तारण नहीं हुआ था। इसी प्रकार वाद संख्या 227/2011 उनवानी प्रेमचन्द बनाम राधेश्याम में भी उक्त भूमि प्रश्नगत रही है। उक्त भूमि के संबंध में वाद संख्या 01/2019 उनवानी राधेश्याम बनाम कज्जू न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सांभरलेक के यहां विचाराधीन है। इस प्रकार इस भूमि के संबंध में कई	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वाद विचाराधीन है। अप्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि में से 19/2400 भूमि का क्रय किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में कई बार झगडा फसाद हो चुका है। अतः तहसीलदार जोबनेर को अमल दरामद करने हेतु रोका जावें।

अतः प्रार्थी/डिक्रीदार का प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 11 जा0दी0 का निष्पादन रोका जावे। तथा तहसीलदार, जोबनेर को तहरीर जारी की जावे कि वह उक्त निर्णय की पालना अन्य मुकदमों के विचाराधीन होते हुए एवं स्थगन आदेश होने से पालना को स्थगित रखें।

हमने वकील फरीकेन की बहस सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थी/डिक्रीदार ने कथन किया है कि इजराय अन्दर मियाद है क्योंकि डिक्री की पालना में न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2008 को ही तहरीर जारी कर दी गयी थी। डिक्री की आदिनांक तक कोई अपील नहीं की गयी है। जो अन्य वाद विचाराधीन है वो अन्य खसरा व अन्य खातेदार को शामिल करते हुए है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने कथन किया है कि डिक्री को पारित हुए 15 वर्ष 09 माह का समय व्यतीत हो चुका है। भूमि के संबंध में कई वाद विचाराधीन है। अप्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि में से 19/2400 भूमि का क्रय किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में कई बार झगडा फसाद हो चुका है। तहसीलदार जोबनेर ने भी अपनी रिपोर्ट में न्यायालय डिक्री एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्तकारों में भिन्नता बतायी है। आराजी खसरा संख्या 603/1 में से बाईपास रोड निकल चुका है। जिसका मुआवजा भी तत्कालीन काश्तकारों को मिल चुका है। आराजी खसरा संख्या 602 किस्म गै0मु0 आबादी दर्शाया हुआ है। जबकि डिक्री में यह प्रदर्शित नहीं है। तथा राजस्व रिकार्ड एवं डिक्री में भिन्नता होने के कारण इजराय करने में असमर्थता जाहिर की है। इसलिए प्रार्थी/डिक्रीदार का प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 11 जा0दी0 का निष्पादन रोका जावे। तथा तहसीलदार, जोबनेर को तहरीर जारी की जावे कि वह उक्त निर्णय की पालना अन्य मुकदमों के विचाराधीन होते हुए एवं स्थगन आदेश होने से पालना को स्थगित रखें।

बहस वकील फरिकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, डिक्री, रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य एक वाद संख्या 43/2005 उनवानी प्रेमचन्द बनाम रामधन न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। जिसका अंतिम निस्तारण दिनांक 10.08.2006 को डिक्री फरमाया जाकर कर दिया गया था। जिसका राजस्व रिकार्ड में अभी तक अमल

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

दरामद नहीं किया गया है। आपत्तिकर्ता ने मुख्य आपत्ति यह जाहिर की है कि डिक्री को पारित हुए 15 वर्ष 09 माह का समय व्यतीत हो चुका है। भूमि के संबंध में कई वाद विचाराधीन है। उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में कई बार झगडा फसाद हो चुका है। जो कि तथ्य सही है। डिक्रीधारक द्वारा जो डिस्पेच रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है वो इस न्यायालय की नहीं है अपितु तहसील कार्यालय की है। अगर न्यायालय के समक्ष पूर्व में तहरीर जारी की गयी होती तो कोई प्रमाण अवश्य होता। तहसीलदार जोबनेर ने भी अपनी रिपोर्ट में न्यायालय डिक्री एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्तकारों में भिन्नता बतायी है। आराजी खसरा संख्या 603/1 में से बाईपास रोड निकल चुका है। जिसका मुआवजा भी तत्कालीन काश्तकारों को मिल चुका है। आराजी खसरा संख्या 602 किस्म गै0मु0 आबादी दर्शाया हुआ है। जबकि डिक्री में यह प्रदर्शित नहीं है। तथा राजस्व रिकार्ड एवं डिक्री में भिन्नता होने के कारण इजराय करने में असमर्थता जाहिर की है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में स्थगन आदेश प्रभावी है। इसलिए ऐसी स्थिति में डिक्री की इजराय संभव नहीं है। न्यायहित में डिक्री का निष्पादन रोका जाना उचित है।

अतः डिक्री का निष्पादन रोका जाता है। तहसीलदार, जोबनेर को तहरीर जारी की जावे कि वह उक्त निर्णय की पालना अन्य मुकदमों के विचाराधीन होते हुए एवं स्थगन आदेश होने के कारण नहीं करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एंव नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर